ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

तेलीगांव दाभाडे म्यूनिसिपल काउंसिल और अन्य

6 अक्टूबर, 2004

[अरिजीत पासायत और सी. के. ठाकर, जेजे.]

महाराष्ट्र नगरपालिका (अधिनियम) नियम, 1968; प्रविष्टियाँ 14 (ए), (बी), 49,53 (सी), 56, 86 और नियम 15 (1) और (3):

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985; धारा 22 और 166 :

धारा 22-ऑक्ट्राय की वसूली-का स्कोप-माना: चूंकि वसूली का सवाल तभी उठेगा जब नगर परिषद आयातित कच्चे माल पर चुंगी शुल्क का आकलन और मात्रा निर्धारण कर सके, धारा 22 के प्रावधानों पर उस स्तर पर विचार किया जा सकता है-निर्देश जारी किए गए।

प्रत्यर्थी No.1-म्यूनिसिपल काउंसिल ने अपीलकर्ता-उद्योग द्वारा आयातित कच्चे-पदार्थ, अर्थात् प्लास्टिक पाउडर, प्लास्टिक घटक और कांच के रिफिल पर चुंगी शुल्क लगाया। अपीलार्थी ने विरोध वाली चुंगी का भुगतान किया था और शुल्क की सही राशि के निर्धारण और अंतर राशि की वापसी के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन दायर किया था। चूंकि अधिकारी अंतर राशि को वापस करने में विफल रहे, इसलिए अपीलार्थी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी को संबंधित अवधि के लिए ब्याज के साथ लागू

सही दरों पर शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया गया था कि प्रविष्टियों के शीर्षक चुंगी लगाने के मामले में प्रासंगिक हैं; कि चूंकि अपीलार्थी एक बीमार उद्योग था, इसलिए शुल्क की कोई वसूली का निर्देश नहीं दिया जा सकता है; कि यह नगर परिषद को यह तय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या शुल्क की राशि पर ब्याज लिया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि 56 को देखते हुए, लेवी क्रम में है; कि चूंकि शुल्क तदर्थ आधार पर लगाया गया था, इसलिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम की धारा 22 के तहत वसूली से संबंधित याचिका अपरिपक्व है।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. महाराष्ट्र नगरपालिका (ऑक्ट्राय) नियमों की प्रविष्टि 56 के तहत सामान स्पष्ट रूप से शामिल हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रविष्टि का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि की जाती है, हालांकि एक अलग आधार पर। (141-जी)

2.1. रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष नियम) अधिनियम की धारा 22 के प्रभाव पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब वसूली की मांग हो। वसूली का सवाल तभी उठेगा जब मूल्यांकन पर मांग की मात्रा निर्धारित की जाए। लेकिन वह स्तर अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए, नगर परिषद स्वतंत्र है कि वह देय चुंगी शुल्क का आकलन और मात्रा निर्धारित करे, यदि पहले से नहीं किया गया है। कानून में दिए गए आकलन

के बाद ही वसूली का सवाल उठेगा। उस स्तर पर अधिनियम की धारा 22 के प्रभाव पर निर्णय किए गए मामलों की पृष्ठभूमि में विचार किया जा सकता है। (142-ए, बी)

रियल वैल्यू एप्लिकंस लिमिटेड बनाम केनरा बैंक और अन्य, (1998) 5 एस. सी. सी. 554 और ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, (2000) 5 धारा 515 पर भरोसा किया गया।

2.2. अपीलार्थी अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में चुंगी शुल्क की छूट/परिहार के लिए नगर परिषद का रुख कर सकता है। अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में ब्याज के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश छूट/परिहार से इनकार करने के लिए निर्धारक कारक नहीं होगा यदि वह इसका हकदार पाया जाता है। हालाँकि, इस तरह की छूट या छूट के लिए अपीलार्थी की पात्रता पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। (142-डी)

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2004 की सिविल अपील सं. 1388

1992 के डब्ल्यू. पी. सं. 295 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांकित 16.10.2003 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी गागराट एंड कंपनी के लिए आशीष ढोलकिया, यू. ए. राणा, मधुप सिंघल।

उत्तरदाताओं के लिए सुब्रत बिड़ला और सुभाष चंद्र बिड़ला।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था

अरिजीत पसायत, जे.

इस अपील में चुनौती बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के फैसले को दी गई है। महाराष्ट्र नगर

परिषद नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत स्थापित प्रतिवादी संख्या 1 तालेगांव दाभाडे नगर परिषद (जिसे इसके बाद "नगर परिषद" के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा चुंगी लगाने की चुनौती थी। प्रत्यर्थी संख्या 1-नगर परिषद ने महाराष्ट्र नगरपालिका (अधिनियम) नियम, 1968 (संक्षेप में "नियम") के संदर्भ में अधिनियम लागू करने का प्रस्ताव रखा।

अपीलार्थी नगर परिषद की चुंगी सीमा में कच्चे माल और घटकों का आयात करता था। अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया कि तीन वस्तुएँ अर्थात प्लास्टिक पाउडर, प्लास्टिक के घटक और कांच के रिफिल नियमों के अवशेष प्रविष्टि 86 के अंतर्गत आते हैं। अपीलार्थी का रुख यह था कि उसने नियमों के नियम 15 (1) के तहत विवादित तीन वस्तुओं पर छूट का भुगतान किया था। इसने संबंधित अधीक्षक से नियम 15 (3) के तहत देय शुल्क की सही राशि निर्धारित करने का अनुरोध किया। इसने नियमों की प्रविष्टि 86 के तहत लगाए गए चुंगी और देय चुंगी के बीच के अंतर की वापसी के लिए प्रतिवादी संख्या 1-नगर परिषद को निर्देश देने का भी अनुरोध किया। चूंकि नगर परिषद आदेश वापस करने में विफल रही, इसलिए अपीलार्थी द्वारा भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में "संविधान") के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ठाणे शहर के नगर निगम और अन्य बनाम असमको प्लास्टिक उद्योग और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, [1999] 1 एस. सी. सी. 372, प्रविष्टि 53 (सी) प्लास्टिक के सामान और प्लास्टिक पाउडर पर लागू होती है और कांच के रिफिल प्रविष्टि 49 द्वारा कवर किए गए थे। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 166 में जो प्रावधान किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए अवधि

के आधार पर ब्याज के साथ देय और विभिन्न दरों पर भुगतान किए जाने वाले चुंगी के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है क्योंकि असमाको के मामले (उपरोक्त) में निर्णय अलग है। उस मामले में, शामिल लेखों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि एक प्रविष्टि के शीर्षक का वास्तव में कोई परिणाम नहीं था। लेकिन यदि कोई संबंधित वस्तुओं की पृष्ठभूमि में संबंधित प्रविष्टि 49 को देखता है, तो शीर्षक महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रविष्टि 14 (ए), 14 (बी) को यह तर्क देने के लिए भी संदर्भित किया गया था कि यह सार्वभौमिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि चुंगी लगाने के मामलों में, प्रविष्टियों के शीर्ष प्रासंगिक नहीं हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता एक रुग्ण उद्योग बन गया है और कार्यवाही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षेप में "बी. आई. एफ. आर".) के समक्ष लंबित है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि संबंधित राशि के संबंध में कोई वसूली का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि ब्याज की माफी के लिए एक शक्ति है और ब्याज का भुगतान करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश में बदलाव करना होगा, इस मामले को नगर परिषद के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए कि क्या ब्याज प्रभार्य है। किसी भी स्थिति में, प्रविष्टि 49 में संशोधन से पता चलता है कि संशोधन से पहले अवशिष्ट प्रविष्टि लागू थी। उच्च न्यायालय इस आधार पर आगे बढ़ा कि प्रविष्टि 49 में संशोधन का वास्तव में कोई परिणाम नहीं था क्योंकि असंपादित प्रविष्टि में अनुच्छेद भी शामिल थे।

उत्तर में प्रत्यर्थी संख्या 1-नगर परिषद के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रविष्टि 56 के संदर्भ में कि भले ही तर्क के लिए यह स्वीकार किया जाता है और स्वीकार नहीं किया जाता है कि प्रविष्टि 49 कांच की वस्तुओं को शामिल नहीं करती

है, प्रविष्टि 56 स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं का ध्यान रखती है। प्रविष्टि 56 में "भवन निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएँ" शामिल नहीं हैं जिनका संदर्भ प्रविष्टि 49 में दिया गया है। इसलिए, किसी भी स्थिति में, प्रविष्टि 56 को देखते हुए, शुल्क क्रम में है। जहां तक वसूली का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल तदर्थ आधार पर शुल्क लगाया गया था, लेकिन नियमों के तहत कोई अंतिम मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसलिए, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एस. आई. सी. ए".) की धारा 22 के तहत वसूली से संबंधित याचिका अपरिपक्व है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक शुल्क की मात्रा निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक वसूली का सवाल नहीं उठता है और वसूली के सवाल पर नगर परिषद द्वारा अपने उचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा।

प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 56 निम्नानुसार हैंः-

49. कांच, कांच के बर्तन, चाइनावेयर तामचीनी के बर्तन, इमारतों के निर्माण या सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की क्रॉकरी और सैनिटरी फिटिंग, धातु के वाल्व, कॉपवर्कॉक्स और उनके फिटिंग थर्मॉस के लिए आवश्यक थर्मॉस के गोले, कांच के गोले)।

56. चूड़ी, बोतल, चीनी और चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन (इमारतों के निर्माण या सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर) सहित कांच और कांच के बर्तन।

उच्च न्यायालय ने असमाको के मामले (उपरोक्त) पर भरोसा रखा। पैराग्राफ 6 में, इस न्यायालय द्वारा यह निम्नलिखित रूप में देखा गया थाः - "हम सबसे पहले कई वस्तुओं को कर में लाने की योजना का उल्लेख कर सकते हैं, यानी कई वस्तुओं को ऑक्ट्राय अनुसूचियों के तहत। दोनों नियमों में, वस्तुओं के कई वर्गों का उल्लेख

विभिन्न शीर्षकों में किया गया है जैसे कि वस्तुओं, जानवरों, ईंधन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, प्रकाश, धुलाई और औद्योगिक उपयोग, भवन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, सड़कें और अन्य संरचनाएं और लकड़ी या बेंत से बनी वस्तुएं, इत्र, शौचालय की आवश्यकताएं, रंग और घरेलू सामान, तंबाकू की आवश्यकताएं आदि। प्रत्येक शीर्षक के तहत, कई वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम इन वस्तुओं को एक या दूसरे शीर्षक के तहत लाने के लिए किसी भी वैज्ञानिक आधार को नहीं समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए ईंधन, प्रकाश, धुलाई और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली तृतीय श्रेणी की वस्तुओं में, यह स्पष्ट नहीं है कि लकड़ी का कोयला, जो वस्तु 14 में है, जब किसी स्थानीय क्षेत्र में लाया जाता है, जिसका उपयोग औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाना है, तो उस पर चुंगी शुल्क लगाया जा सकता है या नहीं। इसी तरह, जब वस्तु 17 में सभी प्रकार के साबुन का उपयोग किया जाता है, तो बूट और धातु पॉलिश को अंदर रखा जाता है। शुल्क की दरों का विवरण देते समय, जो कहा गया है वह साबुन और नहाने के साबुन धोने के लिए 2 प्रतिशत विज्ञापन मूल्य है जिसकी कीमत 1.25 रुपये प्रति केक से अधिक नहीं है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि इन वस्तुओं का उपयोग औद्योगिक उद्देश्य के लिए या प्रकाश या धोने के लिए ईंधन के रूप में किया जाना आवश्यक नहीं है। जबकि साबुन का उपयोग कपड़े धोने की सामग्री के रूप में किया जाता है, बूट और धातु पॉलिश को कपड़े धोने की सामग्री नहीं कहा जा सकता है। पुनः, कपड़े, फर्श और बर्तन धोने में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न डिटर्जेंट का उल्लेख मद 18 में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह केवल उन वस्तुओं से संबंधित है जो औद्योगिक उपयोग के उद्देश्य से हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर, हमें नहीं लगता कि इन प्रविष्टियों में किए गए माल का वर्गीकरण किसी भी वैज्ञानिक आधार पर है और किसी भी एक समूह में

शीर्षक अपने आप में ऐसे प्रत्येक माल के साथ जुड़े होने के अर्थ को नियंत्रित नहीं करता है।

हम प्रत्यर्थी संख्या 1 नगर परिषद के लिए विद्वान वकील की याचिका में तथ्य पाते हैं कि माल स्पष्ट रूप से प्रविष्टि 56 के तहत शामिल हैं। दुर्भाग्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रविष्टि 56 का संदर्भ नहीं दिया गया था। हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं, हालांकि एक अलग आधार पर यानी प्रविष्टि 56 के संदर्भ में।

"एस. आई. सी. ए". की धारा 22 के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा रियल वैल्यू अप्लीकंस लिमिटेड बनाम केनरा बैंक और अन्य, [1998 [5 एस. सी. सी. 554 और ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, [2000] 5 एस. सी. सी. 515 में विचार किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 नगर परिषद के विद्वान वकील द्वारा यह उचित रूप से तर्क दिया गया है कि धारा 22 के प्रभाव पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब वसूली की मांग हो। वसूली का सवाल तभी उठेगा जब मूल्यांकन पर एक मात्रात्मक मांग होगी। मान लीजिए कि वह चरण अभी तक नहीं पहुंचा है। इसलिए, नगर परिषद के लिए यह खुला है कि वह देय चुंगी शुल्क का आकलन और मात्रा निर्धारित करे, यदि पहले से नहीं किया गया है। मात्रात्मककरण और कानून में दिए गए मूल्यांकन के बाद ही वसूली का सवाल उठेगा। उस स्तर पर धारा 22 के प्रभाव पर रियल वैल्यू और ऋषभ एग्रो (उपर्युक्त) में जो कहा गया है, उसके पीछे के आधार पर विचार किया जा सकता है।

जहाँ तक ब्याज के सवाल का प्रश्न है, अपीलकर्ता के लिए अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में चुंगी शुल्क की छूट/परिहार के लिए नगर परिषद का रुख करने का अधिकार है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अधिनियम की धारा 166 के संदर्भ में

ब्याज के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश छूट/ परिहार से इनकार करने के लिए निर्धारक कारक नहीं होगा यदि वह इसका हकदार पाया जाता है। हालाँकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस तरह की छूट या परिहार के लिए अपीलार्थी की पात्रता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

एस. के. एस.

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक कैलाश पुनिया द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।